

23/11/24 पत्रावली देखा हुई। कादी आधिकारता उपर
प्रकरण में कादी आधिकारता पत्रिकासिक्का
के सम्मन गेहिस नारीमे रजिस्टर्ड देदी
देश करे पेश नहीं करने पर आदेश
उ नियम 2 के अन्तर्गत कार्रवाई की
जावेगी पत्रावली दिनांक 20/11/24
को देखा है

20/11/24 पत्रावली देखा हुई कादी आधिकारता उपर
प्रकरण आधी आदेश में दिनांक
23/11/24 को देखा है

23/12/24 पत्रावली देखा हुई। कादी एवं वादी
आधिकारता अनुपस्थित। कादी एवं वादी
आधिकारता को नियमावली त्रिन बाट
आवाजे लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। कादी एवं वादी आधिकारता के
उपस्थित नहीं आने से न्यायालय में पुनः
एक बार आवाज लगवाई गई। परन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5-50 PM.
हो चुका है। कादी एवं वादी आधिकारता
के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से कादी
द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा 183 सम्मान
काबलकारी आधी नियम को अदम लागू की।
अदम पैरबी में आविज किया जाता है।
नियम सरे इजलास सुनाया गया। डिडी प्रकृ
वासी है।

पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर कार्रवाई
फिर ही तथा नकार से कम हो।

23/12/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मोहन पिता गोमा कुमावत उम्र 80 साल निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बालू पिता मांगू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पन्ना लाल पिता मांगू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. भोली देवी पत्नी जमना लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नन्दराम पिता छोगा कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शान्ति देवी पत्नी शंभु लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 17/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 23.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


23/12/24
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा